महिला सहकारी समितियों द्वारा घोषणापत्र

नई दिल्ली, १४ दिसंबर २०२२

हम भारत के १८ राज्यो की १०० महिला सहकारी समिति की सदस्य, सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा और मज़बूती देते हुए, महिलाओं के नेतृत्व एवं एकजुटता का विकास करने का संकल्प लेती हैं। इस के लिए निम्न कदम ज़रूरी हैं –

१. **असंगठित क्षेत्र की ग्रामीण एवं शहरी महिला कामगारों की आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हे सहकारिता समितियों में संगठित करना** ।

- महिलाओं द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों एवं सेवाओं से जोड़ना, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।
- महिलाओ को सरकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ना जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

२. **आजीविका के लिए पूंजी एवं बिमा अन्य वित्तीय सेवाए पहोचाना।**

- महिलाओं की सहकारिता समितियों को निजी एवं सरकारी क्षेत्र से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- उनके उद्यम, मशीनो, एवं उपकरणों का बिमा करवाने के लिए उन्हें बिमा कम्पनियों से जोड़ना।
- उद्यम को मजबूती देने एवं उनके विकास के लिए महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण देना ।

३. **आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण देना एवं जागरूकता लाना।**

- सहकारिता के सिद्धांतों एवं मूल्यों के बारे में जागरूक करना।
- सहकारिता के महत्व की जागरूकता लाना जिससे उनके उद्यमों में बढ़ोतरी हो सके, एवं स्थानीय, राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्रश्यता बढ़े।

४. **क्षमता निर्माण एवं कुशल नेतृत्व बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का गठन करना ।**

- महिलाओ को साथ लेकर उनकी ज़रूरतों के अनुसार योग्य प्रशिक्षण मोडयुल्स तैयार करना।
- अनुभवी ज़मीनी-स्तर के प्रशिक्षको को तैयार करना जिससे महिलाएं योग्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।
- शैक्षणिक प्रवास एवं मेंटर के माध्यम से महिलाओं का क्षमतावर्धन करना ।
- ऑनलाइन मार्केटिंग, व्यापार संबंधी जुड़ाव और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण देना।

५. महिला सहकारिता समितियों और उनकी सामूहिक उद्यमिताओं को बढ़ावा देने वाले कानून, नीतियों, एवं कार्यक्रमों का गठन करना ।

- पंजीकरण प्रक्रियाओ को सरल बनाना जिससे महिलाएं अपना उघम आसानी से कर सके; गैर- परंपरागत एवं नवीन आर्थिक गतिविधियों के गठन को प्रोत्साहित करना ।
- सहकारी समिति की स्वायत्तता को जारी रखना और स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
- महिला सहकारिताओ के उत्पाद एवं सेवाओ के लिए ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन बाजार की सुविधा उपलब्ध करना, मौजूदा प्रणालियों का सरलीकरण, एवं उनके संचालन के लिए क्षमता-निर्माण करना ।
- महिला सहकारी समितियों में निवेश करना एवं उन्हें ऋण, पूंजी, और बिमा जैसी वित्तीय सेवाएं दिलवाने में सहयोग करना।
- व्यापार सम्बंधित विभिन्न सेवाएं एक ही जगह से मिले उस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना।
- महिला सहकारी समितियों को २० करोड़ तक के टर्नओवर पर आय-कर की छुट देना ।
- स्थानीय, राष्ट्रीय, एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सहकारी संस्थाओं में महिलाओ के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। खासकर कृषि जैसे क्षेत्रो में, जिनमे मुख्य रूप से महिलाएं ही काम करती हैं, उनके बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना ।
- महिला सहकारी समितिओं के डिजिटाईजेशन में सहयोग करना एवं डिजिटल अंतर को कम करने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना।
- आपातकाल में महिलाओं के नेतृत्व को प्राथमिकता देना एवं सहाय, पुनवार्स, और अन्य विकास के कार्यो में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका को सुनिश्चित करना ।
- महिला सहकारी समितियों पर अनुसंधान (अभ्यास) को बढ़ावा देना ।
- प्रस्तावित सहकारिता यूनिवर्सिटी एवं निर्यात व्यवस्था जैसे नए कार्यों से महिला सहकारी समितियों को सक्रिय रूप से जोड़ना।
- महिला सहकारी समितियों एवं सहकारी संघ को जी-२० की प्रक्रियाओं से जोड़ना, जिससे उनकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर दृश्यता बढ़े, एवं उनके उत्पादन के निर्यात के लिए नए अवसर खुले।